स्मरण–पत्र I

राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकः प.1(1) आ.उ./PMKSY-MI/राज किसान /2020–21/3032-255 दिनांकः 02.12.2020

समस्त पंजीकृत फर्मस
ड्रिप/फव्वारा संयत्र

विषयः– राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकरण करने बाबत्।

प्रसंगः– पत्रांक प.1(1) आ.उ./PMKSY-MI/राज किसान /2020–21/2720–940 दिनांक 09.11.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि उद्यान विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– सूक्ष्म सिंचाई योजना की पत्रावलियां राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन से लेकर निस्तारण तक ऑनलाईन ऍप्लीकेशन के माध्यम से शुरू की गई है। प्रासांगिक पत्र के माध्यम से उद्यान विभाग में पीएमकेएसवाई के तहत पंजीकृत समस्त फर्मस ड्रिप/फव्वारा संयत्र निर्माताओं को निर्देश दिये गये थे कि अपनी एस.एस.ओ.आई.डी. द्वारा **"www.rajkisan.rajasthan.gov.in"** पर अपना पंजीकरण अतिशीघ्र करावें। पूर्व निर्देशों के बावजूद कुछ निर्माताओं द्वारा उक्त प्रकिया पूर्ण नहीं की गई है। अतः पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि दिनांक 09.12.2020 तक आवश्यक रूप से उक्त पोर्टल पर एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से पंजीकरण कर आवश्यक सूचनाऐं पूर्ण करना सुनिश्चित करावें। निर्धारित अवधि तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बधित फर्म का पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जावेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बधित पंजीकृत फर्म की होगी। इस पंजीकरण हेतु आप राजकिसान पोर्टल पर यूजर मेनुअल की सहायता ले सकते है। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

1/12/2020

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
आयुक्त उद्यानिकी

Scanned with CamScanner